सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

02 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — सोमवार, तिथि 02 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 13 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।
माननीय सदस्यगण, अब राष्ट्रगान होगा, कृपया अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाएं ।

(राष्ट्रगान)

प्रारंभिक संबोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अष्टादश बिहार विधान सभा के इस बजट सत्र में आप सबों का स्वागत है ।

वर्तमान सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित हैं । इसमें सभी विभागों का बजट सदन द्वारा पारित किया जाना है । इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी होगा ।

बजट सत्र केवल एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह जनता की आशाओं, राज्य की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा तय करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है । यह वह समय होता है जब हम अपने विचारों, नीतियों और संकल्पों को जनहित की ठोस योजनाओं में रूपांतरित करते हैं । बिहार की जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है, वह केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है । यह भरोसा सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है । इस सत्र में होने वाली चर्चा राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को नई दिशा देने वाली है ।

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस सत्र को हम सकारात्मक, रचनात्मक और परिणामोन्मुखी बनाएँ । यह सदन संवाद, मर्यादा और पारस्परिक सम्मान का मंच बना रहे, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये क्योंकि सदन की गरिमा केवल नियमों से नहीं, बल्कि हमारे आचरण,

भाषा और दृष्टिकोण से भी तय होती है । यह सब लोकतांत्रिक मर्यादा की सीमा में रहकर होनी चाहिए । हम सबको मिलकर बेहतर बिहार बनाना है ।

अंत में, मैं आशा करता हूं कि यह सत्र सौहार्द, अनुशासन और रचनात्मक ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न होगा । आप सभी के सहयोग से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा । इसी विश्वास के साथ मैं इस बजट सत्र के सफल संचालन की कामना करता हूं ।

माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11.30 बजे विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा । माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आयेंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना–अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः इस सभा वेश्म में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे ।

अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना–अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे ।

अब आगे की कार्यवाही सेंट्रल हॉल में होगी ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय राज्यपाल महोदय को लाने गये)

(सेंट्रल हॉल में हुई कार्यवाही)

(इस अवसर पर सेंट्रल हॉल में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभापति महोदय का आगमन)

(राष्ट्रधुन)

सभा सचिव : माननीय राज्यपाल महोदय, बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहां एकत्रित हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया अभिभाषण देने की कृपा की जाय ।

(माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन
बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत
अधिवेशन में
बिहार के माननीय राज्यपाल

श्री आरिफ मोहम्मद खां

का

अभिभाषण

2 फरवरी, 2026

विधान मंडल के माननीय सदस्यगण,

मैं नव वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में वित्तीय, विधायी एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होने हैं। मैं बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि बिहार विधान मंडल का यह बजट सत्र बिहार को विकसित बनाने एवं जन–जन तक खुशहाली लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। आपके बहुमूल्य सुझावों एवं सकारात्मक विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने के पहले बहुत कम काम हो पाया था। इसके बाद राज्य के विकास के लिए तेजी से काम शुरू किया गया। अब राज्य में कानून का राज है तथा इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। 24 नवम्बर, 2005 को नई सरकार बनने से पहले बिहार में पुलिस बल की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 से कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी की गयी। अब राज्य में पुलिस बल की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख 31 हजार हो गयी है तथा तेजी से नियुक्ति जारी है। महिला पुलिस बल की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है तथा आज बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है।

विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में नये थानों की स्थापना की गयी है। पहले राज्य में कुल 814 थाने थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1 हजार 380 हो गयी है। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा "डायल–112" संचालित की जा रही है, इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 52 लाख से अधिक लोगों को आपातकालीन सहायता पहुँचायी जा चुकी है। अब राज्य में किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है तथा समाज में प्रेम, भाईचारे एवं शांति का माहौल है।

राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा तेजी से कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तानों की घेराबंदी की योजना शुरू की गयी है, जिसमें राज्य के मिली–जुली आबादी के इलाकों वाले एवं अन्य संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा रही है। बड़ी संख्या में कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब समाज में शांति एवं सद्भाव का वातावरण है।

इसी तरह से वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी भी की गयी है, जिससे मंदिरों में चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं।

राज्य सरकार द्वारा शुरू से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले बहुत कम स्कूल थे इसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले गये हैं। विद्यालयों में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गईं, वहीं दूसरी ओर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं।

पहले शिक्षकों की काफी कमी थी। वर्ष 2006 से स्थानीय निकायों के माध्यम से 3 लाख 68 हजार शिक्षकों का नियोजन किया गया था। वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गयी है। इनमें से 28 हजार 976 नियोजित शिक्षक BPSC के माध्यम से सरकारी शिक्षक बन गये। फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को BPSC की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाय। इसके लिए उन्हें 5 मौके तय किये गये। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है जिसमें 2 लाख 66 हजार नियोजित शिक्षक पास हो गये हैं। अब केवल 73 हजार शिक्षक शेष बच गये हैं, जिन्हें एक मौका और दिया जायेगा। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 24 हजार हो गयी है।

नवम्बर, 2005 में नई सरकार बनने के बाद राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसमें व्यापक सुधार किया गया है। इससे पहले स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इलाज कराने के लिये प्रतिमाह औसतन 39 मरीज ही आते थे लेकिन अब स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया गया है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हर महीने औसतन 11 हजार 600 मरीज आते हैं। राज्य में बहुत पहले से ही केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे, जबकि आज 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कार्यरत हैं एवं शेष सभी 27 जिलों में नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। साथ ही पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5 हजार 400 बेड तथा अन्य 5 पुराने मेडिकल कॉलेजों को 2 हजार 500 बेड के अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को 3 हजार बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

अब हर जिले में इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई हो रही है। राज्य में अनेक संस्थानों की स्थापना की गयी है, जिसमें कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान शामिल हैं।

राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों तथा पुल–पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुँचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब राज्य में बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल–पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, एलिवेडेट रोड एवं बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से राजधानी पटना पहुँचना संभव हुआ है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है। अब राज्य में कई नये एक्सप्रेस–वे का निर्माण भी किया जा रहा है। इससे राज्य के सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना पहुँचने में और कम समय लगेगा। साथ ही प्रखंड मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण किया जायेगा।

सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इन संस्थाओं के अब तक 4 बार चुनाव हो चुके हैं। वर्ष 2013 से पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया तथा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जिसे "जीविका" नाम दिया गया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या लगभग 11 लाख हो गयी है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गयी है। पहले शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों की स्थिति ठीक नहीं थी इसलिए इस पर ध्यान दिया गया तथा वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूहों का गठन हो रहा है तथा इनकी संख्या 41 हजार से भी अधिक हो गयी है। इनमें 4 लाख 34 हजार से भी अधिक जीविका दीदियाँ हैं। यह काम तेजी से जारी है।

"मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना" के अन्तर्गत हर घर की एक महिला को रोजगार के लिए 10 हजार रुपये की दर से सहायता दी गयी है। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जायेगी।

सरकार ने शुरू से ही सभी वर्गों के लोगों के लिए काम किया है चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो – सभी के लिए काम किया गया है। वंचित वर्गों के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा इन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई गयी हैं।

पहले सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 400 रुपये की राशि मिलती थी जिसे जून, 2025 से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इससे 1 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को फायदा हो रहा है।

वर्ष 2008 से ही राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाये गये, जिससे फसलों, फलों एवं सब्जियों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। वर्ष 2008 से 2012 तक पहले, 2012 से 2017 तक दूसरे तथा 2017 से 2023 तक तीसरे कृषि रोड मैप के तहत योजनाएं चलायी गयी, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। मछली का उत्पादन ढाई गुना से भी अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप (वर्ष 2024 से 2029) के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है।

वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम शुरू किया गया और ये सभी काम अब पूरे हो चुके हैं। वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुँचा दी गयी। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गयी। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल भी लगाये जायेंगे।

वर्ष 2020 से सात निश्चय–2 के तहत सभी योजनाओं पर काम हुआ है जिनमें–ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जायेगा। सात निश्चय–2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया। अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तथा 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास के काम कराये गये हैं। सरकार द्वारा प्रगति यात्रा के माध्यम से जिलों के विकास में जो कमियाँ रह गयी हैं, उन्हें पूरा करने के लिए 430 नयी योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा।

बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई, 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गयी। फरवरी, 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गयी है। वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है।

इन सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं तथा उनके द्वारा कई विकास कार्यों का शिलान्यास/शुभारम्भ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। केन्द्र सरकार के सहयोग से बिहार का विकास और तेजी से होगा।

अब सरकार द्वारा राज्य के विकास की गति को और तेज किया जायेगा। अगले पाँच वर्षों (2025 से 2030) के लिए सात निश्चय–3 के कार्यक्रम तैयार किये गये हैं।

- पहले निश्चय **"दोगुना रोजगार और दोगुनी आय"** के अंतर्गत राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
- दूसरे निश्चय **"समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार"** के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य में उद्योग लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
- तीसरे निश्चय **"कृषि में प्रगति–प्रदेश की समृद्धि"** में कृषि विकास के काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों की आमदनी और ज्यादा बढ़ सके।
- चौथे निश्चय **"उन्नत शिक्षा–उज्ज्वल भविष्य"** के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे तथा पटना में एक नयी एजुकेशन सिटी का निर्माण भी किया जायेगा।
- पाँचवे निश्चय **"सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन"** के अन्तर्गत प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र तथा जिला स्तर के अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।
- छठे निश्चय **"मजबूत आधार–आधुनिक विस्तार"** के अंतर्गत शहरों के योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया है। साथ ही इसके अन्तर्गत नयी एक्सप्रेस–वे सड़कों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण एवं पर्यटन क्षेत्र का विकास भी शामिल है।
- सातवें निश्चय **"सबका सम्मान–जीवन आसान" (Ease Of Living)** के तहत आधुनिक तकनीक और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

बिहार के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुये उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। राज्य के विकास के काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा तथा देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों में शामिल हो जायेगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मेरे द्वारा संक्षेप में आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेदारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य से एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

जय हिन्द।

सभा सचिव : माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ ।

(राष्ट्रधुन)

(इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय को विदा करने माननीय अध्यक्ष महोदय साथ गये)

टर्न–2 / धिरेन्द्र / 02.02.2026

(माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः सभा वेश्म में कार्यवाही)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ:–

श्री राम नारायण मंडल, स॰वि॰स॰
श्री रत्नेश सदा, स॰वि॰स॰
श्री आलोक कुमार मेहता, स॰वि॰स॰
श्रीमती ज्योति देवी, स॰वि॰स॰

समितियों का गठन

कार्य–मंत्रणा समिति का गठन

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–219(1) के अधीन मैं अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिए कार्य–मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ:–

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री, ऊर्जा	सदस्य
श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल	सदस्य
श्री राजू तिवारी, स॰वि॰स॰	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्यः

उपाध्यक्ष, बिहार विधान सभा
श्री श्रवण कुमार, स॰वि॰स॰
श्री विनोद नारायण झा, स॰वि॰स॰
श्री मनोहर प्रसाद सिंह, स॰वि॰स॰
श्री अखतरूल ईमान, स॰वि॰स॰
श्रीमती ज्योति देवी, स॰वि॰स॰
श्री माधव आनंद, स॰वि॰स॰
श्री अरूण सिंह, स॰वि॰स॰
श्री अजय कुमार, स॰वि॰स॰
श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, स॰वि॰स॰
श्री सतीश कुमार सिंह यादव, स॰वि॰स॰

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, मैं बिहार विधान सभा में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखती हूँ जिसमें माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गयी है और इसकी सूचना अष्टादश बिहार विधान सभा के प्रथम सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुईः–

माननीय राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक का वितरण

कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 पर माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक–17 नवंबर, 2025 को अनुमति प्रदान की गई परन्तु मूल अधिनियम (कारखाना अधिनियम, 1948) का दिनांक–21 नवंबर, 2025 को निरस्त हो जाने के कारण प्राप्त विधिक मंतव्य के आलोक में कारखाना (बिहार संशोधन) विधेयक, 2025 अधिनियमित नहीं हुआ ।

माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 2025	11.12.2025

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति को सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्त्तव्य है:–

स्वर्गीय अशोक कुमार चौधरी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री अशोक कुमार चौधरी का निधन दिनांक–08 दिसंबर, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 59 वर्ष की थी ।

स्व॰ चौधरी मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2015 एवं सकरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2020 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय राजनीति प्रसाद

बिहार के पूर्व राज्यसभा सांसद श्री राजनीति प्रसाद का निधन दिनांक–19 दिसंबर, 2025 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी।

स्व॰ प्रसाद वर्ष 2006 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे । समाजवादी विचारधारा के साथ–साथ वे एक मुखर अधिवक्ता भी रहे थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय वीणा वादिनी पाण्डेय

बिहार विधान सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती वीणा वादिनी पाण्डेय का निधन दिनांक–03 जनवरी, 2026 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी ।

स्व॰ पाण्डेय मधुबनी जिला के हरलाखी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वह मृदुभाषी एवं कर्मठ महिला थीं । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक–03 फरवरी, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।